"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जुलाई 2016 — आषाढ़ 20, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6540/डी. 195/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 26-06-2016 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्र. 36 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(3-क) "पंजीकृत कर्मचारी" से अभिप्रेत है कोई कर्मचारी जो धारा 9 के अंतर्गत अभिदाय करता है एवं जो धारा 9-क के अंतर्गत मण्डल द्वारा पंजीकृत है;"

नवीन धारा 9-क का अन्त:स्थापन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"**9-क. कर्मचारी का पंजीयन.**- (1) धारा 2 के खण्ड (3) में यथा परिभाषित कर्मचारी के पंजीयन हेतु, प्रत्येक नियोजक, ऐसे कर्मचारी जिनके नाम क्रमश: 30 जून तथा 31 दिसम्बर को स्थापना के रजिस्टर में दर्ज हो, का विहित प्रारूप में विवरण, मण्डल को प्रस्तुत करेगा.

(2) मण्डल, नियमानुसार तथा राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से कर्मचारियों का पंजीयन करेगा."

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6540/डी. 195/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 26 of 2016)

CHHATTISGARH SHRAM KALYAN NIDHI (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. After clause (3) of Section 2 of the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982, (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :-

"(3-A) "Registered Employee" means any employee who contributes under Section 9 and who is registered by Board under Section 9-A;"

Insertion of New Section 9-A.

3. After Section 9 of the Principal Act, the following shall be inserted, namely :-

"**9-A. Registration of Employee.**-(1) For registration of employee as defined in clause (3) of Section 2, every employer shall submit to the Board details in prescribed format of such employees whose names are recorded in register of establishment on 30th June and 31st December, respectively.

(2) Board will register the employees as per rules and with the prior approval of the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.